**संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन**

**राजभाषा विभाग, सचिवालय, दमण**

सं. रा.भा. 7(1)/रा.का.स. बैठक/2013 14/77 दिनांक : 14/07/2014

## कार्यवृत्त / MINUTES

माननीय विकास आयुक्त, दमण की अध्यक्षता में दिनांक 30/06/2014 को सचिवालय सभागार, मोटी दमण में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 43वीं बैठक का आयोजन हुआ । बैठक में प्रशासन के निम्नलिखित अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपस्थित रहे :-

| क्र.सं. | अधिकारियों के नाम | पदनाम | कार्यालय का नाम |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री गौरव सिंह राजावत भा.प्र.से. | समाहर्ता, दमण | समाहर्ता का कार्यालय |
| 2. | सुश्री मिताली नामचूम भा.प्र.से. | शिक्षा निदेशक | शिक्षा विभाग |
| 3. | श्री ईश्वर सिंह, भा.पु.से. | पुलिस अधीक्षक | पुलिस विभाग, दमण |
| 4. | श्री रमेशचंद्र मीणा | जिला उप समाहर्ता | समाहर्तालय, दमण |
| 5. | श्रीमती सीमा बावा | महा-प्रबंधक (जि.उ.कें.) | जिला उद्योग केंद्र |
| 6. | श्रीमती स्नेहलता चाँद | परियोजना निदेशक | ग्रामीण विकास अभिकरण |
| 7. | श्री हरिकृष्ण प्रेमी | उप निदेशक (परिवहन) | परिवहन विभाग |
| 8. | श्री के. एस. भोरिया | वैट उपायुक्त | वैट विभाग |
| 9. | श्री राजेश कुमार सक्सेना | उप सचिव (कार्मिक) | कार्मिक विभाग |
| 10. | श्री तनवीर अहमद | मुख्य अधिकारी | दमण नगरपालिका कार्यालय |
| 11. | डॉ. के.वाई. सुलतान | निदेशक | स्वास्थ्य निदेशालय |
| 12. | डॉ. बी. आर. चाँद | चिकित्सा अधीक्षक | सरकारी चिकित्सालय,मरवड |
| 13. | डॉ. कौशिक राठौड़ | उप-निदेशक | वेक्टर रोग नियंत्रण कार्यालय |
| 14. | श्री विश्वम्भर सिंह | कार्यपालक अभियंता | विद्युत विभाग |
| 15. | डॉ. भूप सिंह | प्राचार्य | सरकारी महाविद्यालय |
| 16. | डॉ. एस.डी. भारद्वाज | उप निदेशक (योजना) | योजना एवं सांख्यिकी विभाग |
| 17. | श्री पी.पी. परमार | वास्तु-आयोजक | वास्तु योजनाकार विभाग |
| 18. | श्री जे.पी. सोलंकी | प्राचार्य | तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान |
| 19. | श्री मणिलाल पटेल | शिक्षा उप निदेशक | शिक्षा निदेशालय |
| 20. | श्री भरत कॉण्ट्राक्टर | सहायक शिक्षा निदेशक | जिला पंचायत |
| 21. | श्रीमती अभिलाषा अग्रवाल | अधीक्षक मत्स्य उद्योग | मत्स्य उद्योग कार्यालय |
| 22. | श्रीमती कमला जे.बारिया | बाल विकास परियोजना अधि. | बाल विकास परियोजना कार्या. |
| 23. | श्री एच.बी. जेठवा | तहसीलदार | तहसीलदार कार्यालय |
| 24. | श्री सी.एम. बंगाल | समाज कल्याण अधिकारी | समाज कल्याण विभाग |
| 25. | श्री डी. एच. राठौड़ | खंड विकास अधिकारी | खंड विकास कार्यालय |
| 26. | श्री इकबाल जे. धडा | प्रधान सर्वेक्षक | शहरी सर्वेक्षण कार्यालय |
| 27. | श्री एन. बी. मकवाना | सहायक अभियंता | लोक निर्माण विभाग |
| 28. | सुश्री एच. जे. मालनकर | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अधिकार्र | विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी कार्यालय |
| 29. | श्री कौशिक वाघेला | पत्तन अधिकारी | पत्तन विभाग |
| 30. | श्री गुलाब पटेल | माप तौल निरीक्षक | माप-तौल कार्यालय |
| 31. | श्री एच. एन. राजपूत | प्रवर श्रेणी लिपिक | पर्यटन विभाग |

अध्यक्ष महोदय के स्वागत के बाद कार्यसूची पर मदवार समीक्षा की गई एवं निम्नलिखित निर्णय लिये गए :--

**मद सं. 1.** <u>पिछली बैठक में लिये गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की पुष्टि :</u>

पिछली बैठक में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए जो निर्णय लिये गए थे, उस पर अनुवर्ती कार्रवाई कर ली गई थी । चर्चा के बाद इसकी पुष्टि की गई ।

**मद सं.-2.** <u>राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का समुचित अनुपालन किया जाना :</u>

अध्यक्ष महोदय को जानकारी दी गई कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जिन कागजातों को हिन्दी एवं अंग्रेजी द्विभाषी रूप में जारी करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है, इन्हें अनिवार्य रूप से हिन्दी एवं अंग्रेजी में ही जारी किया जाना अपेक्षित है । चर्चा के बाद सभी सदस्य अधिकारियों को राजभाषा अधिनियम की धारा (3) के अन्तर्गत आनेवाले सभी कागजातों के बारे में जानकारी दी गई ।

लिया गया निर्णय : निम्नलिखित कार्यालयों के अधिकारियों को सूचित किया गया कि वे राजभाषा अधिनियम का समुचित अनुपालन करेंगे एवं भविष्य में इसका उल्लंघन नहीं करेंगे ।

| क्र.सं | कार्यालय का नाम | जिन कागजातों को हिन्दी एवं अंग्रेजी में जारी किया जाना था, लेकिन केवल अंग्रेजी में जारी किया गया । |
|---|---|---|
| 1. | आबकारी कार्यालय | 15 |
| 2. | तहसीलदार कार्यालय | 160 |
| 3. | नगरपालिका कार्यालय | 331 |
| 4. | कृषि विभाग | 26 |
| 5. | वन विभाग | 20 |
| 6. | कार्यपालक अभियंता कार्यालय | 33 |
| 7. | बाल विकास परियोजना कार्यालय | 194 |
| 8. | सरकारी पोलिटेक्निक | 24 |
| 9. | ग्रामीण विकास अभिकरण | 35 |
| 10. | अधीक्षण अभियंता कार्यालय | 105 |
| 11. | लेखा निदेशालय | 18 |
| 12. | पुलिस विभाग | 50 |
| 13. | पर्यटन विभाग | 18 |
| 14. | नगरपालिका कार्यालय | 331 |

**(कार्रवाई : संबंधित विभाग)**

<u>**मद सं.-3.** "क" व "ख" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के साथ हिन्दी में 90 % पत्राचार किये जाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना ।</u>

अध्यक्ष महोदय को जानकारी दी गई कि संघ प्रदेश दमण "ख" क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण यहाँ से "क" व "ख" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के साथ हिन्दी में 90% पत्राचार किये जाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है । जबकि पिछले तिमाह के दौरान सभी कार्यालयों द्वारा कुल मिलाकर 68% पत्राचार हिन्दी में किये गए हैं । यह निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है । कुछ कार्यालयों द्वारा हिन्दी में 90% हिन्दी पत्राचार का लक्ष्य पूरा किया गया है ।



लिया गया निर्णय : अध्यक्ष महोदय ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी विभागों को प्रयास करने चाहिए । उन्होंने निम्नलिखित कार्यालयों के अधिकारियों को सूचित

किया कि वे अगली तिमाही के अंत तक निश्चित रूप से हिन्दी में 90 % पत्राचार का लक्ष्य अवश्य प्राप्त करें ।

| क्रम संख्या | कार्यालयों के नाम | जिन कार्यालयों द्वारा निर्धारित लक्ष्य 90% से कम पत्र किया गया |
|---|---|---|
| 1. | सहकारिता कार्यालय | 37% |
| 2. | उप कारागार कार्यालय | शून्य |
| 3. | नगरपालिका कार्यालय | 19% |
| 4. | पशु चिकित्सा कार्यालय | 60% |
| 5. | वन विभाग | शून्य |
| 6. | कृषि विभाग | 65% |
| 7. | लेखा निदेशालय | 50% |
| 8. | पर्यटन कार्यालय | 63% |
| 9. | अधीक्षण अभियंता कार्यालय | 65% |
| 10. | कार्यपालक अभियंता(लोनिवि)कार्यालय | 56% |
| 11. | जिला पंचायत | 40% |
| 12. | वैट कार्यालय | 65% |
| 13. | श्रम एवं रोजगार कार्यालय | 56% |
| 14. | बाल विकास परियोजना कार्यालय | 53% |
| 15. | पत्तन कार्यालय | 61% |
| 16. | सिविल पंजीकार कार्यालय | 50% |

- **(कार्रवाई : संबंधित कार्यालय अध्यक्ष)**

<u>मद सं. 4. हिन्दी में प्राप्त पत्रों का जवाब अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिये जाने के बारे में ।</u>

अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि राजभाषा नियम 5 के अनुसार दूसरे कार्यालयों से हिन्दी प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में न देकर केवल हिन्दी में ही दिया जाना अपेक्षित है । परंतु कुछ विभागों द्वारा हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर भी अंग्रेजी में दिया जा रहा है ।

**लिया गया निर्णय :** अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित कार्यालयों को अधिक ध्यान देते हुए इस नियम के उल्लंघन से बचने के लिए हिदायत दी ।

| क्रम संख्या | कार्यालय के नाम | जिन कार्यालयों द्वारा हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उ अंग्रेजी में दिया गया |
|---|---|---|
| 1. | पुलिस विभाग | 40 |
| 2. | पर्यटन विभाग | 10 |
| 3. | वन विभाग | 04 |
| 4. | सरकारी पोलिटेक्निक | 23 |
| 5. | शिक्षा निदेशालय | 16 |
| 6. | उप कारागार | 04 |
| 7. | नगरपालिका कार्यालय | 104 |

**(कार्रवाई : संबंधित कार्यालय अध्यक्ष)**



<u>मद सं.-5. “क” व “ख” क्षेत्रों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का हिन्दी में जवाब दिये जाने के बारे में ।</u>

राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को और अधिक विस्तारित करने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा यह नई पहल शुरू की गई है कि “क” व “ख” क्षेत्रों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर

हिन्दी में दिया जा सकता है, क्योंकि "क" व "ख" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के अधिकारी / कर्मचारी व व्यक्ति हिन्दी समझ सकते हैं । इसलिए "क" व "ख" क्षेत्रों में स्थित कार्यालय से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये जाने के लिए प्रयास करने हेतु उपस्थित सभी अधिकारियों को जानकारी दी गई ।

**लिया गया निर्णय** : अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस विषय पर ध्यान दें और 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों व व्यक्तियों से यदि अंग्रेजी में पत्र प्राप्त होता है, तो उसका जवाब भी हिन्दी में भेजने के लिए यथा संभव प्रयास करें । **(कार्रवाई : संबंधित कार्यालय अध्यक्ष)**

<u>मद सं.-6.</u>　　<u>फाइलों पर हिन्दी में टिप्पणियाँ लिखे जाने के बारे में ।</u>

अध्यक्ष महोदय के ध्यान में लाया गया कि गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किये गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार सभी कार्यालयों में हिन्दी में 50% टिप्पणियाँ लिखी जानी चाहिए, जबकि कुछ कार्यालयों द्वारा पिछले तिमाह के दौरान इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है ।

**लिया गया निर्णय** : अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित कार्यालयों को हिन्दी में टिप्पणी लिखने की प्रतिशतता को बढ़ाकर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्देश दिया ।

| क्रम संख्या | कार्यालयों के नाम | जिन कार्यालयों द्वारा हिन्दी में 50% से कम टिप्पणियाँ लिखी गई थीं |
|---|---|---|
| 1. | वित्त विभाग | 08% |
| 2. | कार्मिक विभाग | 24% |
| 3. | समाहर्तालय | शून्य |
| 4. | अधीक्षण अभियंता(लोनिवि) कार्यालय | 17% |
| 5. | कार्यपालक अभियंता कार्यालय | 43% |
| 6. | कृषि विभाग | 48% |
| 7. | जिला पंचायत | 36% |
| 8. | तहसीलदार कार्यालय | 36% |
| 9. | आबकारी विभाग | 05% |
| 10. | पर्यटन विभाग | 44% |
| 11. | जिला उद्योग केंद्र | 02% |
| 12. | बाल विकास परियोजना कार्यालय | 09% |
| 13. | सहकारिता कार्यालय | 46% |
| 14. | पत्तन कार्यालय | 40% |
| 15. | सिविल पंजीकार कार्यालय | 22% |
| 16. | राजकीय महाविद्यालय | शून्य |
| 17. | शिक्षा निदेशालय | 40% |
| 18. | स्वास्थ्य निदेशालय | 38% |
| 19. | सरकारी चिकित्सालय | 33% |
| 20. | ग्रामीण विकास अभिकरण | 35% |
| 21. | उपकारागार | शून्य |
| 22. | नगरपालिका कार्यालय | शून्य |



**(कार्रवाई : संबंधित कार्यालय अध्यक्ष)**

<u>मद सं.-7.</u>　　<u>हिन्दी प्रशिक्षण :</u>

अध्यक्ष महोदय को सूचित किया गया कि राजभाषा विभाग, दमण में अंशकालिक हिन्दी प्रशिक्षण केंद्र खोलकर 143 कर्मचारियों को हिन्दी टंकण में एवं 470 कर्मचारियों को हिन्दी भाषा में प्रशिक्षित किया जा चुका है । कुछ कार्यालयों के कर्मचारी अभी भी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शेष रह गए हैं ।

**लिया गया निर्णय :** जिन कार्यालयों के कर्मचारी हिन्दी टंकण एवं हिन्दी प्राज्ञ प्रशिक्षण के लिए शेष रह गए हैं, उनका नाम राजभाषा विभाग को भेजने के लिए अध्यक्ष महोदय ने कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिया । साथ ही राजभाषा विभाग को भी यह हिदायत दी गई कि हिन्दी टंकण प्रशिक्षण अब केवल कंप्यूटर में ही दिया जाएगा । - **(कार्रवाई : संबंधित कार्यालय एवं राजभाषा विभाग)**

<u>मद सं. 8.</u> <u>संसदीय राजभाषा समिति को दिये गये आश्वासनों को पूरा करने के संबंध में :</u>

अध्यक्ष महोदय को जानकारी दी गई कि संसदीय राजभाषा समिति को प्रशासन द्वारा हिन्दी में कार्य किये जाने से संबंधित दिये गए विभिन्न आश्वासनों में से एक आश्वासन यह है कि कार्यालयों के सभी फाइलों, रजिस्टरों व सेवा पुस्तिकाओं के विषय हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखे जायेंगे तथा सेवा पुस्तिकाओं व रजिस्टरों में यथा संभव हिन्दी में प्रविष्टियाँ की जायेंगी ।

**लिया गया निर्णय :** इस बारे में अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि सभी कार्यालयों द्वारा यह काम यथा संभव शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा । **(कार्रवाई : सभी कार्यालय अध्यक्ष)**

<u>मद सं.-9.</u> <u>विभाग से संबंधित अन्य मुद्दे :</u>

बैठक के मद वार बिन्दुओं पर चर्चा किये जाने के बाद निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई एवं अध्यक्ष महोदय ने निम्नप्रकार निर्णय दिया : -

(i) प्रत्येक विभाग के सामान्य एवं मानक प्रपत्रों को द्विभाषी में बनाया जायेगा ।

(ii) डॉ. एस. डी. भारद्वाज, उप निदेशक (योजना), श्रीमती अभिलाषा अग्रवाल, मत्स्यद्योग अधीक्षक एवं डॉ. एम. बी. सापरा, पशु चिकित्सा अधिकारी को शामिल करते हुए “राजभाषा संवर्धन समिति” का गठन किया जाएगा । समिति के सदस्य समय समय पर विभिन्न कार्यालयों में जाकर राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में संभावना तलाशेंगे एवं विभाग व राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे । साथ ही जिन रूटिन प्रकार के पत्रों को द्विभाषी में बनाया जा सकता है, उनकी भी सूची तैयार कर सचिव (राजभाषा) को सुपुर्द करेंगे ।

(iii) राजभाषा विभाग के अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा बहुत सारे कर्मचारियों को हिन्दी भाषा एवं टंकण में प्रशिक्षण दिया जा चुका है । हिन्दी में सक्रिय रूप से काम करने वाले कर्मचारियों को भी बैठक में बुलाया जाएगा, ताकि हिन्दी में काम करने के उनके अनुभव से अन्य कार्यालयों कर्मचारियों को लाभ मिल सके ।

(iv) राजभाषा विभाग में आवश्यकता से कम अनुवाद कर्मचारी होने के कारण इनके द्वारा पूरा समय अनुवाद कार्य करने से राजभाषा कार्यान्वयन के काम में असुविधा हो रही है । इसलिए प्रशासन के कार्यालयों में उपयोग हो रहे बाकी कोड मैनुअल, नियम, विनियम, वेबसाइट आदि के हिन्दी अनुवाद हेतु एक अनुवाद एजेंसी का चयन किया जाएगा ।

(v) हाल ही में विभिन्न कार्यालयों द्वारा प्रशासक महोदय को भेजी गई प्रपत्रों की सूची के अनुसार सभी प्रपत्रों को द्विभाषी बनाया जाएगा एवं किसी विभाग या कार्यालय द्वारा मासिक / त्रैमासिक रिपोर्ट के आवरण पत्र को केवल अंग्रेजी में भेजने से उन्हें प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा । उप निदेशक (योजना एवं सांख्यिकी), दमण को इस पर कड़ाई से अनुपालन करने के लिए निर्देश दिया गया ।

(vi) सभी अधिकारी छोटी छोटी टिप्पणियों को अंग्रेजी के बदले हिन्दी में लिखेंगे, तो अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रेरणा मिलेगी । अधिकारीगण सबसे पहले **Approved** के स्थान पर **अनुमोदित, Sanction** के स्थान पर **मंजूर** शब्द का प्रयोग करते हुए हिन्दी टिप्पणी की शुरूआत करेंगे ।

(vii) सभी कार्यालय अध्यक्ष त्रैमासिक हिन्दी प्रगति रिपोर्ट भेजने से पहले रिपोर्ट में दर्ज आँकड़ों की जाँच अवश्य करेंगे, ताकि सही रिपोर्ट राजभाषा विभाग में प्राप्त हो सके ।

(viii) **हिन्दी पखवाड़ा एवं हिन्दी दिवस :** इस वर्ष हिन्दी पखवाड़ा 27 अगस्त से 12 सितम्बर तक आयोजित किया जाएगा एवं 14 सितम्बर (रविवार) एवं सार्वजनिक छुट्टी होने के कारण 15 सितम्बर(सोमवार) को हिन्दी दिवस मनाया जाएगा । सभी कार्यालयों से कम से कम 02 कर्मचारी प्रतियोगिता में सहभागिता करेंगे तथा हिन्दी प्राज्ञ एवं हिन्दी टंकण में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके सभी कर्मचारी अनिवार्य रूप से प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। प्रतियोगिताओं में सहभागिता नहीं करने वाले कार्यालयों की रिपोर्ट माननीय विकास आयुक्त महोदय को दी जाएगी

**(कार्रवाई : सभी कार्यालय अध्यक्ष / राजभाषा विभाग)**

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया ।

इसे विकास आयुक्त एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दमण के अनुमोदन पर जारी किया जाता है ।

हस्ता/
(अन्तर्यामी परिड़ा)
सहायक निदेशक (राजभाषा)
दमण

सेवा में,
सभी कार्यालयाध्यक्ष एवं
राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य, दमण ।

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ :

1. प्रशासक महोदय की स्टाफ अधिकारी, सचिवालय, दमण
2. विकास आयुक्त की निजी सहायक, सचिवालय, दमण
3. वित्त सचिव, सचिवालय, दमण ।
4. सचिव (राजभाषा) व संयुक्त प्रबंध निदेशक, ओ.आई.डी.सी., दमण ।
5. समाहर्ता की वैयिक्तक सहायक, समाहर्तालय, दमण
6. उप निदेशक (कार्यान्वयन) भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम),केन्द्रीय सदन, छठा तल, कमरा संख्या 601,सेक्टर 10, बेलापुर, नवी मुंबई 400 614
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, दमण को इसे कार्यालय की वेबसाइट में अपलोड़ करने हेतु अनुरोध सहित ।
8. कार्यालय प्रति